रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section(i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 157] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 11, 1997/चैत्र 21, 1919

No. 157] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 11, 1997/CHAITRA 21, 1919

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1997

सं. 36/97-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 216(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, अंतिम माल के विनिर्माण के लिए अपेक्षित सामग्री को जब उसका भारत में आयात किया जाए, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अधीन उस पर उदग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क से और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पद उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, अर्थात :—

(1) आयातकर्ता को पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उक्त सामग्री के आयात के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निर्यात और आयात नीति के पैरा 7.6 के निबन्धनों के अनुसार विशेष अग्रदाय अनुज्ञप्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अनुज्ञप्ति कहा गया है) अनुदत्त की गई है और उक्त अनुज्ञप्ति निकासी के समय विकलन के लिए समुचित सीमाशुल्क अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

(2) आयात अनुज्ञप्ति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का विनिर्देश करने वाला पृष्ठांकन है—

(क) उक्त अनुज्ञप्ति के अधीन आयात की जाने के लिए अनुज्ञात की गई सामग्री का वर्णन उसकी मात्रा और उसका मूल्य;

(ख) शुल्क दिए बिना आयात की जाने के लिए अनुज्ञात की गई सामग्री का वर्णन और उसकी मात्रा; और

(ग) आयातित सामग्री से या उसके साथ विनिर्मित किए जाने वाले अंतिम माल का वर्णन और मात्रा।

(3) आयातकर्ता ऐसे प्रतिभू या ऐसी प्रतिभूति सहित और ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी राशि के लिए, जो सहायक सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, स्वयं को आबद्ध करते हुए एक बंधपत्र निष्पादित करता है कि ऐसी छूट जिसकी बाबत इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है यदि न की जाए तो मांग किए जाने पर सामग्री की निकासी की तारीख से 24% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित पर उद्ग्रहणीय शुल्क के बराबर हो;

(4) आयातकर्ता, अंतिम माल प्रदाय करने की बाध्यता पूरा करने के लिए अनुज्ञात अवधि की समाप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर या ऐसी

बढ़ाई गई अवधि से जो सीमाशुल्क सहायक कलक्टर अनुज्ञात करे, उक्त सहायक सीमाशुल्क कलक्टर के समाधान पदरूप में अंतिम माल की आपूर्ति की बाध्यता का निर्वहन करने का साक्ष्य प्रस्तुत करता है।

(5) छूट प्राप्त सामग्री का उपभोजन अंतिम माल के विनिर्माण के लिए किया जाता है और ऐसी सामग्री का कोई भाग किसी अन्य रीति से उधार नहीं दिया जाएगा, अंतरित नहीं किया जाएगा, उसका विक्रय या व्ययन नहीं किया जाएगा :

परन्तु जहां ऐसे अंतिम माल का, जिसकी बाबत उक्त सामग्री का आयात किया गया हो, इस अधिसूचना के अधीन यथा अपेक्षित पहले ही विनिर्माण और प्रदाय कर दिया गया है वहां आयातकर्ता उक्त सामग्री का उपयोग किसी अन्य माल के विनिर्माण के लिए कर सकेगा।

(6) आयात और निर्यात मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, कांडला, मंगलौर, मामागांव चेन्नई, नावा शेवा, पारादीप, तूतीकोरिन, और विशाखापत्तनम स्थित समुद्री पत्तनों के द्वारा या अहमदाबाद, बंगलौर, मुम्बई, कलकत्ता, कोयम्बतूर, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, चेन्नई, श्रीनगर, त्रिवेन्द्रम और वाराणासी स्थित विमानपत्तनों में से किसी के द्वारा या बंगलौर, कोयम्बतूर, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना, मुरादाबाद, पिप्परी (पुणे) और पीतमपुर (इन्दौर) स्थित अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में से किसी के द्वारा किए जाते है :

परंतु सीमाशुल्क आयुक्त विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, किसी अन्य समुद्री पत्तन, विमानपत्तन या अंतर्देशीय कंटेनर डिपों के द्वारा या भूमि सीमाशुल्क स्टेशन के द्वारा आयात और निर्यात अनुज्ञात कर सकेगा।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना में —

(i) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अधीन नियुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक या उक्त अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ii) "सामग्री" से अभिप्रेत है—

(क) अंतिम माल के विनिर्माण के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री, संघटक, मध्यवर्ती खपने योग्य सामग्री, कम्प्यूटर साफ्टवेयर ओर पुर्जे,

(ख) प्रदाय किए जाने वाले अंतिम माल को पैक करने के लिए अपेक्षित पैक करने वाला सामग्री।

(iii) "अंतिम माल" से अभिप्रेत है —

(क) प्रदाय जो संयुक्त राष्ट्र संगठनों को या संयुक्त राष्ट्र के सहायता कार्यक्रम के अधीन अथवा अन्य बहुपक्षीय अभिकरणों को दिए गए है और जिनके लिए विदेशी मुद्रा में संदाय किया गया है।

(ख) ऐसे अभिकरणों/निधियों की प्रक्रिया के अनुसार जहां विधिक करारों में सीमाशुल्क सम्मिलित किए बिना निविदा के मूल्यांकन का उपबंध किया गया है, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली के अधीन या सीमित निविदा पद्धति के अधीन वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा यथा अधिसूचित बहुपक्षीय या द्विपक्षीय अभिकरणों/निधियों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं को किए गए प्रदाय।

(ग) प्रदाय, मुक्त व्यापार क्षेत्रों के एककों और शत प्रतिशत निर्यातों-मुख उपक्रमों (मुक्त व्यापार क्षेत्र एकक) हीरा, रत्न, और आभूषणों में लगे हुए (निर्यातोन्मुख उपक्रमों को छोड़कर) को किए गए प्रदाय।

(घ) यदि प्रदाय अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली लगा की प्रक्रिया के अधीन किया गया है तो उर्वरक संयत्रों के लिए पूंजी माल के दस प्रतिशत मूल्य तक पूंजी माल और पुर्जों का प्रदाय।

(ङ) निर्यात और आयात नीति के पैरा 6.2 के अधीन अनुज्ञप्ति धारक को, ऐसे पूंजी माल के आयात के शुल्क पर पूंजी माल का प्रदाय है।

(च) ऐसी किसी परियोजना या प्रयोजन को माल का प्रदाय, जिसकी बाबत वित्त मंत्रालय अधिसूचना द्वारा ऐसे माल का आयात शून्य तथा घरेलू प्रदाय के लिए निर्यात और आयात नीति के अध्याय 7 के अधीन सुविधाओं के विस्तार सहित अनुज्ञात करती है।

(iv) "मुक्त व्यापार जोन" और "शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम" के वही अर्थ है जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण-2 में दिए गए हैं।

(v) "निर्यात और आयात नीति" से भारत सरकार क वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1/1997—2002 तारीख 31 मार्च, 1997 द्वारा अधिसूचित निर्यात और आयात नीति 1 अप्रैल, 1997—31 मार्च 2002 अभिप्रेत है।

[फा.सं. 605/65/97-डी.बी.के.]

के. चोपड़ा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION
New Delhi, the 11th April, 1997,.
No. 36 /97-CUSTOMS

G.S.R. 216 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts materials required for the manufacture of the final goods when imported into India, from whole of the duty of Customs leviable thereon, under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), and from the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, subject to the following conditions, namely :—

(1) that the importer has been granted special imprest licence (hereinafter referred to as the said licence) by the licensing Authority for the import of the said materials for the aforesaid purpose in terms of paragraph 7.6 of the Export and Import Policy, and the said licence is produced at the time of clearance for debit by the proper officer of the Customs:

(2) that the import licence contains the endorsements specifying inter alia—

(a) the description, quantity and the value of materials allowed to be imported under the said licence;

(b) the description and quantity of materials allowed to be imported duty free; and

(c) the description and quantity of final goods to be manufactured out of, or with, the imported materials ;

(3) the importer executed a bond with such surety or security and in such form and for such sum as may be specified by the assistant Commissioner of Customs binding himself to pay on demand, an amount equal to the duty leviable on the imported materials but for the exemption contained herein, in respect of which the conditions specified in this notification have not been complied with together with interest at the rate of 24% per annum from the date of clearance of materials;

(4) that the importer produces evidence of having discharged obligation to supply final goods to the satisfaction of the said Assistant Commissioner of Customs within a period of thirty days from the expiry of period allowed for fulfilment of obligation to supply final goods or within such extended period as the Assistant Commissioner of Customs may allow; and

(5) that the exempt materials are utilised for the manufacture of final goods and no portion of such materials shall be loaned, transferred, sold or disposed of in any other manner:

"Provided that where final goods in respect of which the said materials have been imported have already been manfactured and supplied as required under this notification, the importer may use the said materials for the manufacture of any other goods."

(6) that the imports and exports are undertaken throgh sea ports at Mumbai, Calcutta, Cochin, Kandla, Mangalore, Marmagoa, Chennai, Nhava Sheva, Paradeep, Tuticorin and Visakhapatnam, or through any of the airports at Ahmedabad, Bangalore, Mumbai, Calcutta, Coimbatore, Delhi, Hyderabad, Jaipur, Chennai, Srinagar, Trivandrum and Varanasi or through any of the Inland Container Depots at Bangalore, Coimbatore, Delhi, Gauhati, Hyderabad, Kanpur, Ludhiana, Moradabad, Pimpri (Pune) and Pitampur (Indore):

"Provided that the Commissioner of Customs may by special order and subject to such conditions as may be specified by him, permit import and export through any other seaport, airport or Inland Container Depot or through a land Customs station."

Explanation- In this notification-

(i) "Licensing authority" means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Developmentand Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorised by him to grant a licence under the said Act:

(ii) "materials" means—

(a) raw materials, components, intermediates, consumables, computer software and parts required for the manufacture of final goods;

(b) Packing materials required for the packing of final goods to be supplied ;

(iii) "final goods" means —

(a) supplies made to United Nations Organisation or under the aid programme of the United Nations or other multilateral agencies and paid for in foreign exchange;

(b) supplies made to project financed by multilateral or bilateral agencies /Funds as notified by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance under international competitive bidding or under limited tender system in accordance with the procedures of those agencies/Funds where the legal agreements provide for tender evaluation without including the customs duty;

(c) supplies made to units in the free trade zones and hundred percent export oriented undertaking (excluding free trade zone units/export oriented undertakings engaged in Diamond, Gem and Jewellery);

(d) supply of capital goods and spares to the extent of 10% of the value of such capital goods for fertiliser plants if the supply is made under the procedure of international competitive bidding ;

(e) supply of capital goods to the holders of licence under the paragraph 6.2 of the Export and Import Policy for import of such capital goods at zero duty.

(f) supplies of goods to any project or purpose in respect of which the Ministry of Finance, by a notification permits the import of such goods at zero customs duty coupled with the extension of benefits under Chapter 7 of the Export and Import Policy for domestic supplies;

(iv) "free trade zone" and "hundred per cent export oriented undertaking" have the same a meaning as in Explanation 2 to sub-section (1) of section 3 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944);

(v) "Export and Import Policy", means Export and Import policy, 1 April, 1997—31 March 2002 notified by Ministry of Commerce vide notification number 1/1997—2002, dated the 31st March, 1997.

[F.No. 605/65/97-DBK]

K. CHOPRA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 -- 1997